1Rs

INDIA

एक रूपया — एक रूपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

Book No VII Serial No 38
Dated 30.12.03 Time 2 PM

Authorised u/s 8 (1) (A) of Notaries Act 1952
Act III of 1952 and Notaries Rule 1956 Sec. 11
Read With Sec 85 of the Indian evidence Act

१- लेख्यकारी :- (१) श्रीमती शैल कुमारी देवी. पति का नाम स्वर्गीय सिद्धेश्वर नाथ ठाकुर
(२) श्री अरुण कुमार सिंह) तीनों के पिता का नाम स्वर्गीय सिद्धेश्वर-
(३) श्री अरविन्द कुमार) नाथ ठाकुर. सबों की जाति भूमिहार ब्राह्मण
(४) श्री मनोज कुमार) पेशा नं० १ का गृहणी तथा नं० २ नं० ३ एवं
नं० ४ का व्यापार. निवास स्थान महल्ला जेलहाता, शहर एवं थाना-
डालटनगंज, जिला पलामू, भारतीय।

२- लेख्यधारिणी :- श्रीमती सुनीता सिंह, पति का नाम श्री गगन कुमार सिंह. जाति
भूमिहार ब्राह्मण, पेशा गृहणी, निवास स्थान महल्ला आबादगंज,
शहर एवं थाना डालटनगंज, जिला पलामू, भारतीय।

३- प्रकार :- एकरारनामा।

४- मूल्य :- मुबलिग ४,००,०००) चार लाख रुपये मात्र।

५- सम्पत्ति :- गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण के लिए परती जमीन, क्षेत्रफल
०.७$\frac{1}{4}$ डि० (सवा सात डिसमिल) अर्थात ३१५७ (तीन हजार एक सौ सन्तावन)
वर्गफीट. अन्दर महल्ला जेलहाता, शहर एवं थाना डालटनगंज, जिला
पलामू, सब रजिस्ट्री एवं जिला सब रजिस्ट्री ऑफिस डालटनगंज,
टकीयत छप्परबन्दी।

तौजी नं०	थाना नं०	खेवट नं०	वार्ड नं०
५१	१८६	१	१४

खास महाल होल्डिंग नं०	प्लॉट नं०	रकबा
३३९ (तीन सौ उनचालिस)	६५४ (छः सौ चौवन) — १७२३ — १६५६ सत्रह सौ ...	एक डि० ०.७$\frac{1}{4}$ (सवा सात डिसमिल अर्थात ३१५७ (एकतीस सौ ...

NOTARY — Rabindra Prasad, Daltonganj, Palamau, Regd. A/ No. 21/87 — GOVT. OF JHARKHAND

30.12.03

1R₹

INDIA

एक रूपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

2

चौहद्दी :-

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
निज लैरख्वाही।	सर्विस लेन।	म्युनिसिपल सड़क नाम जेल रोड।	श्री महेश गुप्ता का मकान।

उपर वर्णित सम्पति हमलोगों की स्वयं की छप्परबन्दी सम्पति में से है, जिसका टाउनलीज श्रीमती कमला देवी तथा श्री सिद्धेश्वर नाथ-ठाकुर के नाम से हो गया था, जिसकी अवधि सन 2000 ईस्वी में समाप्त हो गई और टाउनलीज की समाप्ति के पूर्व ही सम्पूर्ण सम्पत्ति अर्थात 0.36 डि० (छत्तीस डिस्मिल) की नवीनीकरण के लिए खास महाल ऑफिस डालटनगंज में टाउनलीज नवीनीकरण का आवेदन दिया जा चुका है जो अभी तक लम्बित पड़ा हुआ है। इस प्रकार से टाउनलीज के अनुसार सम्पूर्ण 0.36 डि० में से आधा अर्थात 0.18 डि० जमीन श्रीमती कमला देवी का तथा शेष आधा हिस्सा अर्थात 0.18 डि० जमीन श्री सिद्धेश्वर नाथ ठाकुर का हुआ। श्री सिद्धेश्वर नाथ ठाकुर की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके हिस्से की सम्पत्ति को उनकी पत्नी श्रीमती शैल कुमारी देवी तथा तीन पुत्र अर्थात श्री अरुण कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार तथा श्री मनोज कुमार ने उत्तराधिकारी होने के कारण सम्मिलित रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त किया और उसी प्रकार से श्रीमती कमला देवी के बाद इनके तीन पुत्र अर्थात श्री श्याम सुन्दर ठाकुर, श्री किशोर कुमार ठाकुर तथा श्री प्रभात कुमार ठाकुर ने उत्तराधिकारी होने के कारण अपनी माताजी श्रीमती कमला देवी के हिस्से की 0.18 डि० को सम्मिलित रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त किया और दखल-कब्जे में भी चले आते रहे। कालांतर में हमलोगों ने आपसी पारिवारिक मौखिक बँटवारा द्वारा अपनी सम्पूर्ण संयुक्त सम्पत्ति को आपस में बाँट कर दो हिस्सों में

NOTARY
Rajendra Prasad
Daltonganj, Palamu
Reg. A/No. 21/
GOVT. OF JHARKHAND

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

देवी के उत्तराधिकारियों को तथा आधा हिस्सा 0.18 डि० स्व० सिद्धेश्वर नाथ ठाकुर के उत्तराधिकारियों को अर्थात् लेख्यकारियों को प्राप्त हुआ, जिसपर हमलोगों का निर्विवाद रुप से स्वामित्व तथा दखल-कब्जा-चला आ रहा है। इस प्रकार से उपर वर्णित सम्पत्ति खाना संख्या 5 की सम्पूर्ण सम्पति हमलोगों अर्थात् चारो लेख्यकारियों को खास अपने हिस्से में प्राप्त सम्पत्ति में से है, जिसपर हमलोगों का निर्विवाद रुप से स्वामित्व तथा दखल-कब्जा चला आ रहा है। इस सम्पत्ति में हमलोगों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का हक, हिस्सा अथवा दखल-कब्जा नहीं है और ना ही इसपर आजतक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदॅन ही किया गया है। संक्षेप में यह सम्पत्ति हमलोगों के हकीयत के सभी दोषों तथा ऋणभार से पुर्णत: मुक्त है।

चूँकि लेख्यकारी नं० 1 को अपनी बिमारी की इलाज के लिए काफी नगद रुपये की आवश्यकता आ पड़ी और इन्हें तीर्थाटन और धर्म कर्म के लिए भी रुपये की आवश्यकता है उसी प्रकार से लेख्यकारी नं० 2, 3 तथा नं० 4 को अपने व्यापार में लगाने के लिए काफी नगद रुपये की आवश्यकता आ पड़ी, जिसका प्रबंध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाना हम लेख्यकारियों के लिए सम्भव प्रतीत नहीं हुआ। अतएव इस सम्बंध में अपने परिवार के अन्य सभी-सदस्यों से अच्छी तरह से विचार विमर्श किया और सर्व सम्मति से यही निश्चय किया कि अपनी उपर वर्णित सम्पत्ति को बिक्री कर दिया जाए और इसके मूल्य से प्राप्त रकम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती की जाये। अत: हमलोगों ने इसके बिक्री की चर्चा कई व्यक्तियों के समक्ष किया तथा इस बात का प्रचार भी कराया। परिणाम स्वरुप कई सम्भावित खरीदार आए और सबों ने इसका अलग-अलग मूल्यांकन भी किया परन्तु अंत में लेख्यधारिणी ने भी अपने पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ-आकर इसका भलीभाँति निरीक्षण किया तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए इसका आज के बाजार भाव के अनुसार उचित तथा अधिकतम मूल्य मुबलिग 4,00,000) चार लाख रुपये निर्धारित किया तथा इसी निर्धारित

1Rs

INDIA

एक रुपया

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

मूल्य में इसे स्वयं ही खरीदना भी स्वीकार किया। हमलोगों ने भी इस मूल्यांकन को प्रत्येक बिन्दु से उचित तथा अधिकतम देखकर सौदे को पक्का कर लिया।

क्योंकि हमलोगों ने लेख्यधारिणी से इसके मूल्य की पूरी रकम में से- भारतीय स्टेट बैंक के शाखा डालटनगंज के बैंकर्स चेक संख्या BC $\frac{00}{027}$ 774711 दिनांक 23-12-2003 ई० बनाम शैल कुमारी देवी द्वारा मुबलिग 25,000) पच्चीस हजार रुपये, बैंकर्स चेक संख्या BC $\frac{00}{027}$ 774561 दिनांक 8-12-2003 ई० बनाम शैल कुमारी देवी, द्वारा मुबलिग (75,000) पचहत्तर हजार रुपये,- भारतीय स्टेट बैंक के शाखा डालटनगंज द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट संख्या 747444 दिनांक 23-12-2003 ई० बनाम अरुण सिंह, द्वारा मुबलिग 40,000) चालिस- हजार रुपये; बैंक ड्राफ्ट संख्या 747445 दिनांक 23-12-2003 ई० बनाम अरुण सिंह, द्वारा मुबलिग 40,000) चालिस हजार रुपये, बैंक ड्राफ्ट संख्या 747446 दिनांक 23-12-2003 ई० बनाम अरुण सिंह द्वारा मुबलिग — 20,000) बीस हजार रुपये, बैंक ड्राफ्ट संख्या 747447 दिनांक 23-12-2003 ई० बनाम अरबिन्द कुमार द्वारा मुबलिग 40,000) चालिस हजार रुपये, बैंक ड्राफ्ट संख्या 747448 दिनांक 23-12-2003 ई० बनाम अरबिन्द कुमार द्वारा- मुबलिग 40,000) चालिस हजार रुपये, बैंक ड्राफ्ट संख्या 747449 दिनांक 23-12-2003 ई० बनाम अरबिन्द कुमार द्वारा मुबलिग 20,000) बीस हजार रुपये, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा डालटनगंज के बैंकर्स चेक संख्या- BC $\frac{00}{027}$ 774710 दिनांक 23-12-2003 ई० बनाम मनोज कुमार, द्वारा मुबलिग 20,000) बीस हजार रुपये, बैंकर्स चेक संख्या BC $\frac{00}{027}$ 774556 दिनांक 8-12-2003 ई० बनाम मनोज कुमार, द्वारा मुबलिग 40,000) चालिस- हजार रुपये तथा बैंकर्स चेक संख्या BC $\frac{00}{027}$ 774557 दिनांक 8-12-2003 ई० बनाम मनोज कुमार के द्वारा मुबलिग 40,000) चालिस हजार रुपये अर्थात् कुल रकम मुबलिग 4,00,000) चार लाख रुपये को पूरी तरह से वसूल पा लिया है तथा इसके मूल्य की रकम में से अब हमलोगों को कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है। इसलिए हमलोगों ने उपर वर्णित सम्पत्ति जिसे इस एकरारनामा के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया

NOTARY
Rajendra Pra...
Daltonganj, Palamu
Reg. A/No. 21/91
GOVT. OF JHARKHAND

शैल कुमारी देवी २६-१२-२००३
मनोज कुमार 26-12-03
अरुण कुमार सिंह २६.१२.०३
अरविन्द कुमार २६.१२.०३

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

1R

५

है, पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल-कब्जा हटाकर इसपर खास लेख्यधारिणी श्रीमती सुनीता सिंह को स्वामित्व तथा दखल-कब्जा दे दिया। इस प्रकार से इस सम्पत्ति के सम्बंध में हमलोगों को आजतक जो भी हक, अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारिणी को प्राप्त हुए। अब लेख्यधारिणी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग तथा उपभोग करके लाभ उठावें। इसमें अपना गृह निर्माण करावें, अपने परिवार सहित निवास करें अथवा जैसा उचित समझें इसका इस्तेमाल करें। इससे अब हमलोगों को, हमारे किसी भी अन्य उत्तराधिकारी अथवा स्थानापन्न को कुछ भी सम्बंध या सरोकार नहीं रहा और ना ही भविष्य में कभी भी रहेगा।

चूँकि अभी डालटनगंज के खास महाल क्षेत्राधिकार की भूमि की रजिस्ट्री पर पाबन्दी लगी हुई है। अत: उपर वर्णित सम्पत्ति की रजिस्ट्री कर पाना अभी सम्भव नहीं है। चूँकि लेख्यकारी नं० १ श्रीमती शैल कुमारी देवी तथा लेख्यकारी नं० २ (?) श्री मनोज कुमार शहर डालटनगंज से काफी दूर रहा करते हैं तथा डालटनगंज की खास महाल क्षेत्र की भूमि के रजिस्ट्री के प्रारम्भ होने के पश्चात भी डालटनगंज में उपस्थित होकर उपर वर्णित सम्पत्ति की रजिस्ट्री के लिए उपस्थित हो पाना या रजिस्ट्री कर पाना इनके लिए सम्भव प्रतीत नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन्होंने लेख्यधारिणी की इच्छा तथा सहमति से लेख्यधारिणी के पति श्री गगन कुमार सिंह को अपना प्रतिनिधि (Attorney) नियुक्त करते हुए अपने प्रतिनिधि को एक रजिस्टर्ड जेनरल पावर ऑफ अटर्नी (General Power of Attorney) द्वारा अपना समस्त अधिकार प्रदान कर दिया है, जिसे अम्बिकापुर के रजिस्ट्री ऑफिस में दिनांक १०-१२-२००३ ई० (?) को निबंधित किया है। जिससे रजिस्ट्री के प्रारम्भ होने के पश्चात हमारे प्रतिनिधि स्वयं अपने ही हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते हुए इसकी रजिस्ट्री लेख्यधारिणी के नाम से अथवा इनके द्वारा मनोनित व्यक्ति के नाम से कर देंगे। इस प्रकार से लेख्यकारी नं० ३ तथा नं० ४ अर्थात श्री अरुण कुमार सिंह तथा श्री अरविन्द कुमार डालटनगंज के खास महाल क्षेत्राधिकार की भूमि की रजिस्ट्री के प्रारम्भ होते ही लेख्यकारी नं० १ तथा नं० २ (?) के प्रतिनिधि श्री गगन कुमार के साथ सम्मिलित रुप से अपने-अपने हस्ताक्षर के द्वारा इसकी रजिस्ट्री लेख्यधारिणी अथवा इनके द्वारा मनोनित व्यक्ति के नाम से कर देंगे। हमलोग चारो लेख्यकारियों ने लेख्यधारिणी से यह भी वादा किया है कि दिये गए रजिस्ट्री प्रतिनिधि-पत्र (General Power of Attorney) को हमलोग, हमारे उत्तराधिकारी अथवा स्थानापन्न किसी भी परिस्थिति में कैंसिल या रिभोक (?) नहीं करेंगे और ना ही हमलोग इसकी दुबारा बिक्री के लिए किसी

NOTARY
Rabindra [illegible]
Daltonganj, Palamau
GOVT. OF INDIA

शैल कुमारी देवी 26-12-2003
मनोज कुमार 26-12-03
अरुण कुमार सिंह 26.12.03
अरविन्द कुमार 26.12.03

भी अन्य व्यक्ति से बात ही करेंगे। साथ ही हमलोग दोनों लेखकारी- अर्थात् नं०2 श्री अरुण कुमार सिंह तथा नं०3 श्री अरबिन्द कुमार ने भी लेखधारिणी से वादा किया है कि शहर डालटनगंज के खास महाल - क्षेत्राधिकार की भूमि की रजिस्ट्री के प्रारम्भ हो जाने पर हमलोग वादे के अनुसार श्री गगन कुमार के साथ मिलकर इसकी रजिस्ट्री न करें, टाल - मटोल करें या किये गए वादे के विपरित कोई भी कारवाई करें तो वैसी स्थिति में इसके मूल्य की पूरी रकम मुबलिग 4,00,000) चार लाख - रुपये का दोगुना अर्थात् मुबलिग 8,00,000) आठ लाख रुपये, इसमें लेखधारिणी के द्वारा किये गए निर्माण के लागत खर्च का दोगुना तथा हर्जाने के भी देनदार हमलोग, हमारे उत्तराधिकारी तथा स्थानापन्न समान रुप से होंगे तथा इसके लिए पाबंद भी रहेंगे।

इसलिए हमलोगों ने अपने - अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थता में - अपनी सम्मिलित इच्छा तथा प्रसन्नता से इस एकरारनामा को लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

आज तारीख :- 26-11-2003 ईस्वी।

कातिब :- प्रभाकर वर्मा,
डालटनगंज।

Attested the Signature of Sri...
...on the Identification of Sri...
...Advocate
Notary
30/12/03
Daltonganj, Palamau

SUB-REGISTRAR OFFICE SARGUJA NON JUDICIAL SPECIAL ADHESIVE

भारत STAMP DUTY छत्तीसगढ़

Rs.≈0000100 10.12.2003

532145 00008

INDIA CHHATTISGARH

मु० उप पंजीयक
अम्बिकापुर

प्रतिनिधि-पत्र (जेनरल पॉवर ऑफ अटर्नी)

100·00
1·00
101·00

(1) लेख्यकारी :-

1- श्रीमती शैल कुमारी देवी पति का नाम ... सिद्धेश्वर नाथ ठाकुर।

2- श्री मनोज कुमार पिता का नाम स्वर्गीय ...श्वर नाथ ठाकुर। दोनों की जाति- भूमिहार ब्राह... ... नं·-1 का गृहणी, तथा नं·-2 का व्यापार, निवा... ...न-महल्ला- जेलहाता, शहर एवं थाना-डालटनगंज, जिला ... ...मू, वर्तमान निवास ग्राम- नमना कला, तहसी... एवं ... अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़।

(2) लेख्यधारी :-

श्री गगन कुमार पिता का नाम श्री नागेन्द्र ... सिंह, जाति- भूमिहार ब्राहम्ण, पेशा- व्यापार, निवास ... महल्ला- आबादगंज, शहर एवं थाना-डालटनगंज, जिला- ... ...रखंड।

(3) लेख्य प्रकार :- प्रतिनिधि-पत्र (जेनरल पॉवर ऑफ अटर्नी)

(4) सम्पत्ति :-

गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण के लिए ... ...मीन, क्षेत्रफल 0·7-$\frac{1}{4}$-डी· (सवा सात डिस्मिल) ... ...एकतीस सौ-संतावन) वर्गफीट अन्दर महल्ला- जेलहाता, श... ...ं थाना- डालटनगंज, जिला-पलामू।

शैल कुमारी देवी
मनोज कुमार

तौजी नं॰	थाना नं॰	खेवट नं॰	वार्ड नं॰
51	189	1	14

होल्डिंग नं॰	प्लौट नं॰	रकबा ए॰डी॰	चौहदी
339 (तीन सौ-उन्चालिस)	554 (छव सौ-चौवन)	0·7-$\frac{1}{4}$-डी॰ (सवा सात डिस्मिल)	उत्तर - निज लेख्यकारी। दक्षिण - सर्विस लेन। पुरब - जेल रोड़। पश्चिम - श्री म [illegible] गुप्ता।
,,	1723/1756 (सत्तरह सौ तेईस बटा सत्तरह सौ छप्पन)		

उपर वर्णित सम्पत्ति हमलोगों की स्वयं की सम्पत्ति है, जिस पर हमलोगों का निर्विवाद रूप से स्वामित्व तथा दखल-कब्जा चला आ रहा है। इस सम्पत्तिमेंहमलोगों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का हक, हिस्सा अथवा दखल-कब्जा नहीं है। चूँकि हमलोग शहर डालटनगंज से काफी दूर रहा करते है तथा उपर वर्णित सम्पत्ति की देखभाल, सम्भाल तथा बिक्री इत्यादि कर पाना हमलोगों के लिए सम्भव प्रतीत नहीं हो पाता। अतः हमलोगों ने श्री गगन कुमार को अपना प्रतिनिधि (अटर्नी) नियुक्त करते हुए अपने प्रतिनिधि को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किया है। :-

(1) उपर वर्णित सम्पत्ति की देखभाल, सम्भाल इत्यादि हमारे प्रतिनिधि स्वयं ही कर सकेंगे।

(2) उपर वर्णित सम्पत्ति के संबंध में होने वाले हर प्रकार के मामले, मुकदमें जिसमें दिवानी, फौजदारी तथा रेभेन्यू मुकदमें भी शामिल है की पैरवी हमारे प्रतिनिधि स्वयं ही तथा सभी जगह पर मात्र अपने ही हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते हुए कर सकेंगे।

(3) उपर वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में हमारे प्रतिनिधि सभी प्रकार के एकरारनामा जिसमें बय-बयाना, किरायानामा इत्यादि शामिल है को लिखवा कर तथा मात्र अपने ही हस्ताक्षर से उसे तामिल भी कर सकेंगे।

शैल कुमारी देवी
मनोज कुमार

{4} उपर वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के लिए हमारे प्रतिनिधि स्वयं ही, ग्राहक या ग्राहकों की तलाश करेंगे, मूल्य निर्धारित करेंगे तथा विक्रय-पत्र को लिखा कर उसे मात्र अपने ही हस्ताक्षर से निस्पादित करके रजिस्ट्री की सम्पूर्ण कार्रवाई को भी मात्र अपने ही हस्ताक्षर से सम्पादित स्वयं ही कर सकेंगे।

हमारे प्रतिनिधि को प्रदान किये गये अधिकारों के द्वारा किये गए सभी कार्यों की जिम्मेवारी हमलोगों पर, हमारे उत्तराधिकारियों तथा स्थानापन्न पर समान रूप से होगी और यही समझा जायेगा कि सभी कार्यों को हमलोगों ने स्वयं ही सम्पन्न किया है।

इसलिए हमलोगों ने अपने-अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी सम्मिलित इच्छा तथा प्रसन्नता से इस प्रतिनिधि-पत्र {जेनरल पॉवर ऑफ अटर्नी} को लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

यह प्रारूप हम लेखयकारियों के द्वारा स्वयं ही तैयार किया गया है।

1. गवाह का नाम एवं पता.

अरविन्द कुमार सिन्हा
पिता-श्री गौरीशंकर सिन्हा
नमना कला, अम्बिकापुर
सरगुजा

2. गवाह का नाम एवं पता:

अर्जुन पाण्डेय
पिता मुरारी पाण्डेय
गोधनपुर अम्बिकापुर
सरगुजा

लेखयकारी का हस्ताक्षर:-

1- शैल कुमारी देवी

2- मनोज कुमार

ड्राफ्टिंग नम्बर है:
शैल कुमारी देवी

टंकक:- [signature]
अशोक कुमार
अधिवक्ता लिपिक, अम्बिकापुर, सरगुजा।

सेवा,

कार्यालय खास महाल पदाधिकारी,

डालटनगंज, पलामू।

विषय:- श्रीमती शैल कुमारी देवी जौजे स्वर्गीय सिंह ... ठाकुर को दिये गये नोटिस के सम्बन्ध में।

महाशय,

नम्र निवेदन है कि आवेदिका को श्रीमान् के ... नोटिस इस बावत दिया गया है कि आवेदिका का ... नं0-339 प्लौट नं0 654, 1723 रकबा 0·36 डी0 जमीन ... हाता में स्थित है तथा उसका टाउनलीज का नवीकरण ... है तथा क्या वह ... दर पर नवीकरण कराना चाह... हैं।

आवेदिका यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहती ... उपर वर्णित भूमि तथा मकान संयुक्त रूप से सिंह ... तथा मो0 कमला देवी के नाम से है। सिंह ... नाथ ... आवेदिका के पति थे जिनका देहान्त हो गया है। आवेदिका ... कुमार सिंह, अरविन्द कुमार तथा मनोज कुमार है।

यह कि आवेदिका तथा उनके लड़के तथा ... उनके लड़के के बीच में दिनांक 12·3·97 को आपसी ... गया है तथा दोनों पक्ष अलग-अलग ... जमीन तथा मकान ... रहे हैं। आवेदिका जिस मकान तथा जमीन पर ... उसका ... नीचे दिया जा रहा है जो सिड्युल"क" में ... बताया ...

यह कि आवेदिका तथा उसके लड़के के नाम ... में दिये गये मकान तथा भूमि का सरकारी दर पर नवीकरण कर दिया गया। ...

यह कि चूंकि आवेदिका जो ... उसके लड़के जो नाबालिक थे तथा कमला देवी तथा ... घर का सारा काम देख रहे थे इसलिए ... नवीकरण ... नहीं हो सका।

यह कि आवेदिका सरकार ... रही है तथा आवेदिका के नाम से लीज का नवीकरण ...

में वर्णित भूमि तथा मकान [illegible] कर दिया जाय।

अत: श्रीमान् से प्रार्थना है कि शिड्यूल "क" में वर्णित मकान तथा भूमि का नवीकरण आवेदिका तथा [illegible] कुमारी [illegible] के नाम से कर दिया जाय।

इस हेतु प्रार्थी श्रीमान् का सदा आभारी रहेगा।

शिड्यूल "क"

(प्रथम पक्ष के सम्पत्ति का ब्योरा)

शहर	मोहल्ला	[illegible]	[illegible]
डालटनगंज	बेलवाटिका	डालटनगंज	[illegible]

थाना नं0	सर्वे नं0	तौजी नं0	[illegible]
189	105	151	

प्लॉट नं0	रकबा
654 1723 1756	7794 वर्गफीट

चौहद्दी

उत्तर – शिड्यूल [illegible] की [illegible]
दक्षिण – नगर पालिका गली
पश्चिम – मुख्य सड़क [illegible]
पश्चिम – महेश कुमार गुप्ता।

[illegible]

पति – स्व0 [illegible] ठाकुर
[illegible]